राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ.-14(4)/योजना/नि.वि.यो./2021/ 11125   जयपुर, दिनांक 25/6/2022

आदेश

निदेशालय विशेष योग्यजन के पत्रांक 2777-2821 दिनांक 28.05.2013, आदेशांक के द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। विभाग के संशोधित आदेशांक 9642-9709 दिनांक 21.10.2014, आदेशांक 13259 दिनांक 29.01.2015, आदेशांक 16844 दिनांक 21.01.2019 एवं आदेशांक 18006 दिनांक 14.02. 2019 के द्वारा जारी किये गये, उक्त समस्त आदेशों को विलोपित करते हुये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:-

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

1. **पृष्ठभूमि** : राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवास कर रहे विशेष योग्यजनों के त्वरित विकास एवं कल्याण के लिये विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाऐं संचालित की जा रही है। जिससे विशेष योग्यजन किसी पर आश्रित नही रहे वे भी अपनी आजीविका कमाकर परिवार व समाज में सम्मानित जीवन यापन कर सके। इसके लिये उन्हें सम्बल प्रदान कर आर्थिक रूप से पुनर्वासित कराने की राज्य सरकार की मंशा रही है। इस हेतु निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है।
2. **योजना** : इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
3. **पात्रता** :-
    1. आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये।
    2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
    3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
    4. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
    5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हो।
    6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो।

4. **दस्तावेज :-**
   1. जनआधार कार्ड
   2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID Card)
   3. मूल निवास प्रमाण पत्र
   4. आयु प्रमाण पत्र
   5. आय प्रमाण पत्र
   6. आधार कार्ड
   7. संबंधित शपथ पत्र
5. **आवेदन की प्रक्रिया :**

   आवेदन राज्य के किसी भी ई-मित्र अथवा एस.एस.ओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP' आईकन के माध्यम से आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
6. **अनुदान, ऋण की प्रक्रिया एवं सीमा :-**
   1. 5.00 लाख रूपये की लागत तक के व्यवसाय अथवा स्वरोजगार की गतिविधि के लिये ही इस योजना के अन्तर्गत ऋण व सब्सिडी दी जायेगी।
   2. उक्त योजना में बैंक व सहकारी बैंक इत्यादि से ऋण प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। किन्तु यह अनुभूत तथ्य है कि कतिपय विशेष योग्यजन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति जैसी भी श्रेणी का हो, वह इस हेतु गठित राष्ट्रीय निगम से ऋण प्राप्त कर सकता है।
   3. कुल लागत की रूपये 50000/- या 50 प्रतिशत जो दोनों में कम हो, संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के वितरण के पश्चात बैंक खाते के माध्यम से निदेशालय विशेष योग्यजन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा सब्सिडी एक किश्त में प्रदान की जायेगी।
   4. आवेदन पत्रों की स्वीकृति संबंधित जिलाधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा नियमानुसार जारी की जायेगी।
7. **ऋण राशि पर ब्याज एवं वसूली :-**
   1. प्रस्ताव की स्वीकृत राशि में से अनुदान राशि घटाकर बनने वाली कुल ऋण राशि पर वही ब्याज दर लागू होगी जो कि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ली जाती है।
   2. ऋण राशि की वसूली संबंधित बैंक के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार सात वर्ष की अवधि में बैंक द्वारा की जायेगी।
   3. ऋण राशि का भुगतान तय समय पर करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जायेगी।
8. **मानसिक विमंदित व्यक्ति के संबंध में** : मानसिक विमंदित व्यक्तियों के आवेदन पत्र उनके वैधानिक संरक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेगें। आवेदक के हस्ताक्षर के स्थान पर भी

वैधानिक संरक्षक के हस्ताक्षर होगे। उनका प्रबन्धन व वित्तीय प्रबन्धन (वित्तीय लेन देन सहित) भी संरक्षक के माध्यम से संधारित होंगे।

9. **स्वरोजगार/व्यावसायिक गतिविधिया जिन के लिये इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी :-**

1.	इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस)	31.	हार्डवेयर कम्प्यूटर
2.	ऑटो पार्टस की दुकान	32.	पशुपालन
3.	सोना/चांदी के जेवर बनाने का कार्य	33.	स्प्रे पेन्टिंग
4.	सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य	34.	कढाई कार्य
5.	बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान	35.	स्टील फेब्रिकेशन
6.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट	36.	फाईन आर्ट
7.	बर्तन की दुकान	37.	स्क्रीन प्रिंटिंग
8.	साईकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना	38.	दुपहिया वाहन सर्विस
9.	टेलरिंग शॉप	39.	कार सर्विसिंग व धुलाई
10.	कृत्रिम आभूषण शॉप	40.	क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज
11.	किराने/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान	41.	वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस
12.	खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप	42.	ई-मित्र
13.	टैन्ट हाऊस	43.	रेडिमेड गारमेन्ट
14.	ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप	44.	बुक वाईन्डिग
15.	बेकरी	45.	टी.वी. रिपेयर
16.	किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान	46.	इलेक्ट्रोनिक्स (होम एप्पलान्सिस)
17.	बिजली के सामान की दुकान	47.	इन्टिरीयर डेकोरेशन
18.	जूते, चप्पल बनाना व बिक्री	48.	क्राफ्टस कार्य
19.	कपड़ों की रंगाई एवं प्रिन्टिंग	49.	डेयरी कार्य
20.	टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग	50.	पोल्ट्री फारमिंग
21.	कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट	51.	टर्नर कार्य
22.	ब्यूटी पार्लर	52.	फिटर कार्य
23.	रेडिमेड गारमेन्ट	53.	मशीनिस्ट कार्य
24.	मोबाईल कम्प्यूटर रिपेयरिंग	54.	ए.सी. एवं फ्रिज रिपेयरिंग
25.	स्टील फर्नीचर	55.	जेम्स कटिंग व पॉलिसिंग
26.	आटा चक्की	56.	यू.पी.एस./इन्वर्टर सेल्स व सर्विस
27.	कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर	57.	ट्रांस फारमर वाईडिंग
28.	सॉफ्ट ट्वाएज मेकिंग	58.	डी.टी.पी./प्रिंटिंग मशीन
29.	ऑफसेट प्रिंटिंग	59.	ई-रिक्शा (बैट्री चलित)
30.	मोबाईल रिपेयर एवं सेल्स		

(गजानन्द शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ.-14(4)/योजना/नि.वि.यो./2021/ 11125-2294 जयपुर, दिनांक 24/6/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
5. महाप्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति/विशेष योग्यजन/अन्य पिछड़ा वर्ग/ स्वच्छकार वित्त विकास निगम, लि., सहकार भवन, जयपुर।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (बैंक ऑफ बडोदा), आनन्द संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति/विशेष योग्यजन/ अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वच्छकार वित्त विकास निगम, लि., सहकार भवन, जयपुर।
8. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सहायक प्रोग्रामर, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक